राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)आरडी / नरेगा / एमआईएस / 12–13 जयपुर दिनांकः 07 OCT 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :– आधार नम्बर की सीडिंग नरेगा सॉफ्ट में करवाये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भ :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 12.03.2013 एवं 16.05.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में आधार नम्बर की सीडिंग नरेगा सॉफ्ट में किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये जा चुके है परन्तु फिर भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशानुसार नरेगा श्रमिकों का भुगतान डी.बी.टी.(Direct Benefit Transfer) सिस्टम से करने के लिये आधार नम्बर की सीडिंग नरेगा सॉफ्ट में की जानी आवश्यक है।

उपरोक्त कार्य को त्वरित गति से करने के लिये नरेगा सॉफ्ट पर Employment module में उपलब्ध रिपोर्ट Total No. of Aadhaar Nos. Entered for MGNREGA से ग्राम पंचायतवार श्रमिक विवरण का प्रिन्ट ब्लॉक एमआईएस द्वारा निम्नानुसार निकाला जाना है :–

Open "nrega.nic.in" website ⟶ click on "Rajasthan" ⟶ click on "More...." (under Employment Module report)
↓
click on report "Total No. of Aadhaar Nos. Entered for MGNREGA" ⟶ click on District ⟶ click on Block
↓
Now click on figures of column No. - 6 (without Aadhaar No. in MIS)

ग्राम पंचायतवार श्रमिक विवरण की इस रिपोर्ट को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक को दी जावें। ग्राम रोजगार सहायक द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत श्रमिकों से जॉबकार्डवार आधार नम्बर (यूआईडी) का विवरण प्राप्त किया जावे। इस यूआईडी नम्बर को पंचायत समिति से प्राप्त रिपोर्ट में अपडेट कर वापिस पंचायत समिति पर कार्यरत ब्लॉक एमआईएस मैनेजर को दी जावे। ग्राम पंचायत से प्राप्त इन यूआईडी नम्बर की सीडिंग तुरन्त नरेगा सॉफ्ट में करने की जिम्मेदारी ब्लॉक एमआईएस मैनेजर की होगी।

उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 21.10.2013 तक करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(एम.डी. मीणा)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम) ईजीएस, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, जयपुर / जोधपुर / बाड़मेर।
3. एमआईएस मैनेजर, समस्त राजस्थान।
4. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस